न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ. प्रतिमा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 33/2024

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1.मोहम्मद रफीक पुत्र श्री इलमदीन, 2 रमजान पुत्र श्री इलमदीन. 3 लालू खां पुत्र श्री इलमदीन, 4 सदीक खां पुत्र श्री इलमदीन, 5 समसदीन पुत्र श्री इलमदीन, 6 सरीफदीन पुत्र श्री इलमदीन, 7 अमीन खां पुत्र श्री इलमदीन, 8 जैनब पत्नि श्री इलमदीन, 9 जेवतों पत्नी श्री बचुखा। 10 गफूर खा पुत्र श्री कायमदीन सभी जातियान मुसलमान निवासी ग्राम गोमट तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।		1. बंची पत्नि श्री नसरदीन, जाति सिन्धी मुसलमान निवासी गोमट, तहसील–पोकरण, जैसलमेर। 2. तहसीलदार पोकरण। 3. खतीजा पत्नि श्री कायमदीन, जाति–मुसलमान निवासी ग्राम गोमट तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.02.2024 जो उपखण्ड अधिकारी पोकरण, (जैसलमेर) के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 40/2021 बअनवान श्रीमती बंची बनाम मोहम्मद रफीक व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री बरकतखॉ मेहर, श्री सलीमखॉ मेहर, विद्वान अधिवक्ता अपीलान्टस् की ओर से।
2. श्री सुगनमल परिहार, श्री सिद्धार्थ परिहार, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो.संख्या 1 की ओर से।
3. श्री नवल सिंह दहिया, विद्वान राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से।
4. रेस्पो0 संख्या 3 बावजूद सूचना तामीली के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांकः 8 दिसम्बर, 2025

1. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी पोकरण के समक्ष दिनांक 24.06.2024 को अंतर्गत धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी खातेदारी की कृषि भूमि ख0 सं0 99 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा ग्राम गोमट तहसील पोकरण में स्थित है। उक्त भूमि की पैमाइश हेतु तहसीलदार, पोकरण के समक्ष आवेदन पेश करते हुए दिनांक 15.01.2021 को पैमाइश का आदेश करवाया गया तथा दिनांक 26.02.2021 को हल्का पटवारी से पैमाइश करवाई गई, किन्तु पडौसी खातेदारान यानि वर्तमान अपीलाण्टस ने इस पर एतराज

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

किया और फसल काश्त करते समय भी एतराज किया व और उक्त भूमि पर कब्जा कर तारबन्दी शुरू कर दी गई है। विप्रार्थीगण सीमाज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे है जबकि सीमाज्ञान सही रूप से किया गया था। इसलिए प्रार्थीया/ रेस्पोडेण्ट उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि की पत्थरगढी किये जाने बाबत अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.2.2024 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्टस् की ओर से यह अपील दिनांक 18.03.2024 को न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र को दिनांक 25.06.2021 को दर्ज किये जाने के पश्चात वर्तमान अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र का प्रत्युतर प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया कि रेस्पो. सं. 01 ने वर्ष 2018 में इसी भूमि को लेकर पत्थरगढी करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र संख्या 13/2018 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त भूमि पर प्रार्थीया का कोई कब्जा नहीं होने से उनके निर्णय दिनांक 23.07.2019 को खारिज कर दिया था। प्रार्थीया ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नये प्रार्थना पत्र में जानबूझकर छिपाया है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र कतई चलने योग्य नही है। उक्त पारित आदेश दिनांक 23.07.2019 के विरूद्ध प्रार्थीया ने पूर्व में सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में एक अपील भी प्रस्तुत की थी, किन्तु उक्त अपील भी निरस्त हो गई थी। प्रार्थीया ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानबूझकर छिपाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में तहसीलदार पोकरण से मौका रिपोर्ट तलब की गई जो कि दिनांक 09.02.24 को तहसीलदार पोकरण के द्वारा पेश की गई, उक्त मौका रिपोर्ट से भी पड़ोसी खातेदारो का उक्त प्रश्नगत भूमि पर मौके पर कब्जा रहना बताया है। अपीलान्टस् द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब में अन्य कई कानूनी एवं तथ्यात्मक आधार एवं उज्र एतराज अंकित किये गये थे। तत्पश्चात पत्रावली प्रार्थना पत्र एवं मौका रिपोर्ट पर वास्ते जवाब हेतु पत्रावली दिनाक 19.02.2024 की नियत की गई।

3. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को उक्त मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में उज्र एतराज करने तथा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही बाले–बाले, बिना अपीलाण्टस् अप्रार्थीगण को बहस का अवसर दिये आनन फानन में दिनांक 19.02.2024 को उन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण का आदेश जारी होने के पश्चात् बेक डेट में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.2.2024 से व्यथित होकर अपीलाण्टस् की ओर से यह अपील पेश की गई है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायलय के द्वारा उक्त प्रकरण में तहसीलदार पोकरण से मौका रिपोर्ट तलब गई थी जो दिनांक 09.02.2024 को पेश हुई और उक्त मौका रिपोर्ट पर एतराज व प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 19.02.

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

204 को नियत की गई परन्तु उस दिन पीठासीन अधिकारी जैसलमेर प्रवास पर थे, इसलिए इस प्रकरण की पेशी पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी द्वौरान पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण आदेश जारी हो गया और स्थानान्तरण होने के पश्चात् दिनांक 21.02.2024 को पीठासीन अधिकारी पोकरण आये और बेकडेट में यह अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया और निर्णित पत्रावली भी इधर–उधर रखकर चले गये, जिसके कारण अपीलाण्ट के अधिवक्ता को तारीख पेशी की कोई जानकारी नही हो पाई। अपीलाण्ट के अधिवक्ता को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 28.02.2024 को हुई, जिस पर उन्होंने आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र उसी दिन पेश करते हुए दिनांक 14.03.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त की और जोधपुर में आकर अधिवक्ता नियुक्त कर यह अपील तैयार करवाई। इस आधार पर भी जैर अपील आदेश पूर्णतया विधि विधान न्याय व सुनवाई से सम्बन्धित प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल होने से अविलम्ब अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाण्ट का उक्त विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है उक्त विवादित भूमि का ख0 सं0 99 का रकबा बहुत बड़ा है और इसी रकबे में से काफी लोगो ने भूमि को मूल खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामे से खरीद की गई थी। खरीददारों ने राजस्व रिकार्ड में तरमीम राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर गलत एवं गैरकानूनी रूप से करवा दी। रेस्पो0 सं0 1 प्रार्थीया ने भी अपनी खरीदसुदा भूमि पर बिना कब्जा, गलत एवं गैरकानूनी रूप से पहले म्यूटेशन भरवाया फिर तरमीम भी गलत करवा दी गई, परन्तु गलत तरमीम के आधार पर उनको आज दिन तक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में रेस्पो0 संख्या एक ने अपनी खरीदसुदा भूमि पर कब्जा प्राप्ति हेतु पूर्व मे बंटवाडे का राजस्व वाद संख्या 62/2023 पेश किया तथा कब्जा प्राप्ति हेतु कब्जेदारों को बेदखल करने हेतु धारा 183 आरटी एक्ट के तहत एक मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.03.2011 को पेश किया था। उसके साथ एक विविध प्रकरण संख्या 97/2012 धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जो प्रार्थना पत्र व दावा खारिज किया गया। प्रार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलाण्टस् ने अपने जवाब के साथ रेस्पो0 संख्या एक के पूर्व के तमाम मुकदमो की प्रमाणित नकले अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जो पत्रावली में मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजो का सरसरी तौर पर उल्लेख तो अपने निर्णय आदेश में किया है किन्तु उन पर अपनी कोई फाईन्डिग नहीं देकर कोई स्पष्ट निर्णय पारित नहीं किया है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2024 को निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार पोकरण द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 09.02.2024 भी बाले बाले एकपक्षीय रूप से प्रार्थीया के राजनैतिक दबाव के कारण गलत एवं गैरकानूनी रूप से पटवारी हल्का गोमट से नहीं बनवाकर अन्य पटवारी हल्का पोकरण से बनवाई गई और उक्त एकपक्षीय रिपोर्ट पर अपीलाण्ट को उज्र एतराज पेश करने का कतई अवसर नहीं दिया गया है। पत्थरगढी का आदेश बिना कब्जा

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दूसरे के कब्जे की भूमि पर किया जा रहा है जो तहसीलदार व राजस्व कर्मचारियों की मौका रिर्पोट व नजरी नक्शे से साबित है तथा अपीलाण्टस रफीक खा पुत्र श्री इलमदीन, गफुर खां पुत्र श्री कायमदीन, श्रीमती जेवतो पत्नि बच्चु खां, खतीजा पत्नि कायमदीन आदि का कब्जा होना मौका रिर्पोट व नक्शे मे स्पष्ट अंकित है तथा मौके पर कब्जा सम्बन्धी विवाद है और भूमि में कुछ हिस्से पर अपीलाण्ट का कब्जा है शेष भूमि पर पडौसी खातेदारो का कब्जा है। सम्पूर्ण हिस्से पर अपीलाण्ट का मौके पर वक्त खरीद से आज दिन तक काश्त कब्जा व तारबन्दी मौजूद है, आवासीय मकान/ढाणी व पानी का टांका बनाया हुआ है, मवेशियों का बाडा बनाया हुआ है अन्य मकान बनाने हेतु मौके पर मेटेरियल डाले हुए है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2024 को निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त किया जावे एवं अपीलान्टस् की अपील को स्वीकार किया जावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी पोकरण के समक्ष दिनांक 24.06.2024 को अंतर्गत धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी खातेदारी की कृषि भूमि ख0 सं0 99 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा सरहद मौजा गाँव गोमट तहसील पोकरण में स्थित है। उक्त भूमि की पैमाइश हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश करते हुए दिनांक 15.01.2021 को पैमाइश का आदेश करवाया गया तथा दिनांक 26.02.2021 को हल्का पटवारी से पैमाइश करवाई गई, किन्तु पडौसी खातेदारान यानि वर्तमान अपीलाण्टस ने इस पर एतराज किया और फसल काश्त करते समय भी एतराज किया व और उक्त भूमि पर कब्जा कर तारबन्दी शुरू कर दी गई है। विप्रार्थीगण सीमाज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे है जबकि सीमाज्ञान सही रूप से किया गया था। इसलिए प्रार्थीया/रेस्पोडेण्टस् उक्त भूमि की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.2.2024 के द्वारा प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि की पत्थरगढी किये जाने बाबत आदेश दिनांक 19.2.2024 पारित कर दिया, जो पूर्ण रूप से उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

8. रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस् के द्वारा यह कथन किया जाना कि ख0सं0 99 पर कब्जा नहीं है, इस कारण पत्थरगढी का आदेश नहीं दिया जा सकता था जबकि प्रार्थीनी का मौके पर कब्जा है और कब्जे के सम्बन्ध में साक्ष्य के रूप में फोटो भी पेश किये गये थे। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक की ओर से प्रश्नगत भूमि की पैमाइश करने हेतु आवेदन दिनांक 15.01.2021 को तहसीलदार, पोकरण के समक्ष आवेदन पेश करते हुए दिनांक 26.02.2021 को पैमाइश करवाई गई। उक्त पैमाइश के समय पडौसी खातेदार व अन्य मौतबिरान उपस्थित रहे थे परन्तु उनके द्वारा उक्त मौका फर्द पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था। उक्त प्रश्नगत भूमि प्रार्थीया के नाम अकेले के नाम जमाबन्दी में दर्ज है। ऐसे में भूमि किसी प्रकार से सहखातेदारी की थी ही नहीं। पत्थरगढी की जाने वाली भूमि पर अन्य का कब्जा होने की स्थिति में पत्थरगढी करने से इन्कार नहीं किया

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जा सकता है और ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कब्जा न होने पर पत्थरगढी करना न्यायोचित नहीं है।

9. रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था,ऐसे में रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है, जो कि सही नहीं ठहरता है। रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त वाद की कार्यवाही में लागू होता है ना कि प्रार्थना पत्रों में। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा पूर्व में पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने पर उनके द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गई थी, जिसे मुझ रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा जरिये विड्रो खारिज करवा लिया था। अपीलान्टस् के द्वारा उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब वर्तमान अपीलान्टस् रेस्पो. सं. एक की भूमि पर पैमाइश सही नहीं होने दे रहे है जिससे उक्त भूमि के पड़ौस सही नहीं होने से विवाद बना हुआ था। रेस्पो0 संख्या एक की भूमि के दक्षिण दिशा में खाली पड़ी भूमि अपीलान्ट जेवतो पत्नी बन्चूखॉ की है परन्तु अपीलान्टस् रेस्पो0 संख्या एक की प्रश्नगत भूमि की पैमाइश नहीं होने दे रहे है और न ही पत्थरगढी करवाने दे रहे है।

10. रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की सुनवाई किये जाने तथा तहसीलदार पोकरण से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के उपरान्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने योग्य मानते हुए स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि की पत्थरगढी किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2024 पारित किया गया है। अपीलान्टस् के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश जारी होने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पर हस्ताक्षर किये जाने के जो आरोप अपील में अंकित किये गये है, उनके सम्बन्ध में अपील के संलग्न कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये गये है जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हो। इसके अतिरिक्त जमाबन्दी में दर्ज खातेदार अपने दर्ज हिस्से के अनुसार अपने भूमि की पैमाइश, तरमीम एवं उसकी सुरक्षा हेतु पत्थरगढी/नेखमबन्दी करवाने हेतु अधिकार रखता है। अपीलान्टस् रेस्पो0 संख्या एक की भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिकमण किये हुए है तथा अपने तथाकथित कब्जे के आधार पर उक्त भूमि हड़पने की नियत रखते है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस् की अपील को खारिज किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.2.2024 को यथावत रखते हुए पत्थरगढी बाबत आदेश पारित किया जावें।

11. रेस्पो0 संख्या 02 की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा प्रश्नगत भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की सुनवाई किये जाने तथा तहसीलदार पोकरण से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के उपरान्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने योग्य मानते हुए स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि की पत्थरगढी किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2024 पारित किया गया है, जो विधि के अनुकूल एवं उचित होने से यथावत रखे जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

12. हमने उपस्थित पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिससे यह पाया जाता है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.06.2024 को राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111, 128 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी की कृषि भूमि ख0 सं0 99 रकबा 58 बीघा 5 बिस्वा ग्राम गोमट में स्थित होने तथा सीमाज्ञान करवाने के उपरान्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने बाबत निवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.2.2024 को अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

13. अपीलान्टस् के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.2.2024 के विरूद्ध यह अपील मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि रेस्पो0 संख्या एक का उक्त प्रश्नगत भूमि पर पूर्ण रूप से कब्जा काश्त नहीं है, ऐसे में वह पूर्ण खसरे की भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने की कार्यवाही नहीं कर सकती है। इस सम्बन्ध में राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया जिसमें ख0सं0 99 रकबा 58.05 बीघा भूमि जमाबन्दी में रेस्पो0 संख्या एक के नाम से दर्ज है, मात्र कब्जा नहीं होने के आधार पर किसी खातेदार को पत्थरगढी कार्यवाही करने से नहीं रोका जा सकता है। अपीलान्टस् उक्त भूमि पर काबिज होने मात्र से पत्थरगढी की कार्यवाही में रूकावट पैदा नहीं कर सकते है। हर खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी/नेखमबन्दी किये जाने हेतु अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा पूर्व में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में पत्थरगढी करवाये जाने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया था, ऐसे में रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है, जो कि सही नहीं ठहरता है। रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त राजस्व वाद की कार्यवाही में लागू होता है ना कि इस प्रकार के पैमाइश/पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों पर। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में इस अपील में आपत्ति के तौर पर दर्शाये गये कथनो/तथ्यों का उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया जा चुका था जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने उनकी पत्रावली के रिकार्ड पर लिया हुआ है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात पीठासीन अधिकरी के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है और उनके द्वारा पूर्व दिनांक में हस्ताक्षरित किया गया है, इस आपत्ति के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में अपनाई गई प्रकिया दूषित प्रतीत होती हो और पारित किये गये अपीलाधीन आदेश की सत्यता के सम्बन्ध में शंका उत्पन्न होती हो। अपीलान्ट यदि प्रश्नगत भूमि की तरमीम गलत होना तथा बंटवाडा प्रकिया को विधि विपरित होना मानता है तो वह इस हेतु सक्षम स्तर पर चाराजोही कर सकते है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.2.2024 को पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार से कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है, वह यथावत

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रखे जाने एवं अपीलान्टस् की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

14. अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिमा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर